Consumption of fertilizer in Assam

*324. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what has been the per hectare consumption of fertilizers in Assam during the last three years; and

(b) whether Government are likely to grant relief to the farmers for full utilisation of the fertilizers during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The estimated consumption of fertilizers in terms of nutrients per hectare in Assam during the last three years in given below:-

1995-96	12.85 Kg.
1996-97	14.59 Kg.
1997-98	21.93 Kg.

Government is already bearing a heavy subsidy on urea, the only controlled fertiliser, as well as on major phosphatic and potassic fertilisers in order to make available these fertilise to farmers at affordable prices all over India including Assam. The price of urea is Rs. 3660 per tonne. The maximum retail prices for decontrolled fertilisers announced by the Union Government for Kharif 1998 are as under:—

	Rupees per tonne
Di-Ammonium Phosphate (DAP)	8300
Muriate of Potash (MOP)	3700
Complexes (various grades)	62Q0 to 8000

Besides the subsidy given on decontrolled Phosphatic and Potassic fertilisers under the scheme of concession an additional transport subsidy is also admissible is Assam.

सेबों का समर्थन मूल्य

*326 **श्री बरजिन्दर सिंह**:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)यह सच है कि देश में सेब उत्पादकों द्वारा सेब का समर्थन मूल्य 4.50 रूपए प्रति किलो निर्धारित करने की मांग की गई हैं;

(ख) यदि हां,तो क्या यह भी सच है कि यही सेब देश के आम उपभोक्ताओं को 10 रूपए से लेकर 20 रूपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा हैं;

(ग) यदि नहीं,तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं;और

(घ) क्या सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सेब-उत्पादकों के विक्रय-मूल्य तथा उपभोक्ताओं के क्रम-मूल्य में अंतर को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं,यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सोम पाल): (क)से (ग) जी,नहीं । सेब के लिए कोई मूल्य समर्थन स्कीम नहीं है । तथापि,केवल हिमाचल प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत "निकृष्ट" सेब के मूल्य 3.75 रूपए प्रति कि.ग्राम निर्धारित करने की मांग की गई है । यह योजना संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है,जो किसी प्रकार की हानि होने पर उसका 50 प्रतिशत वहन करने की इच्छुक हो ।

मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत खरीदे गए"निकृष्ट"श्रेणी के सेब का उपयोग प्रसंस्करण/विनिर्माणी इकाइयों में जूस,जैम,जैली आदि तैयार करने में किया जाता है और इसे उपयोग हेतु खुले बाजार में नहीं बेचा जाता । ऐसी इकाइयों से लिए जाने वाले मूल्य मण्डी हस्तक्षेप मूल्यों के लगभग समान ही होते हैं ।

(घ)खेत और उपभोक्ता स्तर पर सेब के मूल्यों में अंतर के कारणों में व्यापारियों के मार्जिन के अलावा,पैकिंग,परिवहन,रख-रखाव,भण्डारण की लागत और फसल कटाई उपरान्त की हानियां शामिल हैं ।

राष्ट्रीय बागवनी बोर्ड द्वारा बागवानी फसलों के फसल कटाई उपरान्त की अवसंरचना के प्रबनन पर एकीकृत परियोजना,और उदार ऋण में सहभागिता के माध्यम से बागवानी उत्पाद के विपणन का विकास नामक योजनाओं के माध्यम से अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के